क्षितिज

भाग 1

कक्षा 9 'अ' पाठ्यक्रम के लिए
हिंदी की पाठ्यपुस्तक

0955

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani

मूल संस्करण :
© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधांन और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

अभिगृहित :
© हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

संस्करण : **2020**

संख्या : **30,000 प्रतियाँ**

मुल्य : **₹60/-**

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना, इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण और प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना, यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनविक्रय या किराये पर न दी जायेगी और न बेची जायेगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टीकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

आभार प्रदर्शन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ने इस पुस्तक को छापने तथा हरियाणा के विद्यालयों में इसे पाठ्य–पुस्तक के रूप में पढ़ाने की अनुमति हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को प्रदान करने की कृपा की है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता है।

सचिव

टैक्स्ट 80 जी॰एस॰एम॰ डी एस जी पेपर मिल और कवर 170 जी॰एस॰एम॰ विशाल पेपर मिल के कागज पर मुद्रित।

सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा प्रकाशित एवम् एस जी प्रिण्ट पैक्स प्रा॰ लि॰, नोएडा–201301, उ॰प्र॰ द्वारा मुद्रित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

अनिता वैष्णव, *पी.जी.टी.* (हिंदी), दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज, नयी दिल्ली।

अनुराधा, *प्रवक्ता* (हिंदी), राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

अनुराधा, *पी.जी.टी.* (हिंदी), सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट, नयी दिल्ली।

दुर्गा प्रसाद गुप्ता, *रीडर,* हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली।

निरंजन देव, *प्राचार्य,* भारत-भारती स्कूल, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

निरंजन सहाय, *प्रवक्ता* (हिंदी), पं. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड़, उदयपुर।

माधवी कुमार, *रीडर,* सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

वीरेंद्र सिंह रावत, *फ़ील्ड ऑफ़िसर,* शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

शंभुनाथ, *प्रोफ़ेसर,* हिंदी विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

शारदा कुमारी, *प्रवक्ता,* डाइट, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

चन्द्रा सदायत, *प्रोफ़ेसर,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस

बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए हम विशेष आमंत्रित कमलानंद झा, *प्रवक्ता,* सी. एम. कॉलेज, दरभंगा एवं वंदना कौशिक, *अध्यापिका,* आर्मी पब्लिक स्कूल, नयी दिल्ली का आभार व्यक्त करते हैं।

जिन लेखकों और कवियों की रचनाओं को इस पुस्तक में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्राप्त हुई है उनमें राहुल सांकृत्यायन की रचना के लिए कमला सांकृत्यायन, श्यामाचरण दुबे की रचना के लिए लीला दुबे, हरिशंकर परसाई की रचना के लिए प्रकाश चंद्र दुबे, महादेवी वर्मा की रचना के लिए प्रमोद गुप्त, हज़ारीप्रसाद द्विवेदी की रचना के लिए मुकुंद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत की रचना के लिए सुमिता पंत, केदारनाथ अग्रवाल की रचना के लिए परिमल प्रकाशन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना के लिए विभा सक्सेना, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना के लिए बृज भूषण चतुर्वेदी और जाबिर हुसैन, चंद्रकांत देवताले एवं राजेश जोशी के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

इस पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए *कंप्यूटर स्टेशन इंचार्ज* परशराम कौशिक, *कॉपी एडीटर* सुप्रिया गुप्ता एवं प्रमोद कुमार तिवारी, *प्रूफ़ रीडर* पूजा नेगी, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* सचिन कुमार एवं उत्तम कुमार और सी.आई.ई.टी. में *फ़ोटोग्राफ़र* आर.सी.दास के हम आभारी हैं।

यह पुस्तक

शिक्षा की दुनिया में प्राय: यह कहा जाता है कि भाषा की कक्षाएँ रोचक और चुनौती भरी नहीं होतीं। आज इस मानसिकता को बदलना आवश्यक है। यह पुस्तक इस ओर एक छोटा-सा प्रयास है। इस पुस्तक को बनाते समय यह कोशिश की गई है कि भाषा की कक्षा विशेषकर 'हिंदी की घंटी' आनंददायी हो और विद्यार्थियों के मानसिक बोझ को हलका करने वाली भी। यहाँ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा रटने पर आधारित पद्धतियों का त्याग करे।

प्रस्तुत पुस्तक नवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली कक्षा से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और आठ वर्षों तक हिंदी का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। नवीं के ये विद्यार्थी किशोर विद्यार्थी हैं जिनका भाषा और विचार-बोध का एक पूर्व आधार तैयार हो चुका है। अब उनके भाषिक दायरे और वैचारिक समृद्धि को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे आगे चलकर उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी भाषा और साहित्य की पढ़ाई कर सकें। वे भाषिक रूप से इतने दक्ष हो जाएँ कि हिंदी उनके विमर्श और ज्ञान-विज्ञान की भाषा भी बन सके।

सृजनात्मक साहित्य हमारी भाषिक दक्षता को पुख्ता बनाता है और संवेदनशीलता को परिष्कृत करता है। साथ ही वह सौंदर्य-बोध को भी समृद्ध करता है। इसलिए एक ऐसी पाठ्यपुस्तक बनाने की ज़रूरत महसूस की गई जिसकी पाठ्य-सामग्री में विषयगत विविधता हो, नवीनता हो और वह स्तर के अनुकूल भी हो। अत: ऐसी पुस्तक के लिए रचनाओं का चयन एक बौद्धिक-शैक्षणिक चुनौती भरा काम था जिसे हमने जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर पूरा किया।

इस संकलन की रचनाएँ जहाँ एक ओर विद्यार्थियों में साहित्यिक संवेदना पैदा करने वाली हैं तो दूसरी ओर उन्हें जीवन के विविध संदर्भों से जोड़ती भी हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी साहित्य की विविध विधाओं से परिचित हो सकें। वे एक ओर साहित्य की समृद्ध परंपरा की पहचान के लिए मध्यकालीन कविता का आस्वाद लें और आज के जीवन को जानने के लिए आधुनिक कविता का भी बोध प्राप्त करें। भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना को वे कबीर और रसखान की कविता के माध्यम से जानें और भक्ति आंदोलन के आखिल भारतीय स्वरूप से परिचित होने के लिए ललद्यद को भी पढ़ें। स्वतंत्रता आंदोलन, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा को महत्व देने के लिए पुस्तक में हिंदी कविता के विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ कवियों की कविताओं को यहाँ संकलित किया गया है। प्रयास यह किया गया है कि हिंदी कविता की समृद्धि और शक्ति की एक झलक हमारे किशोर विद्यार्थियों को मिल सके। हिंदी कविता के ऐतिहासिक विकास से भी वे वाकिफ़ हो सकें इसलिए संकलित कवियों की कविताओं को काल-क्रमानुसार रखा गया है जबकि गद्य विधाओं की रचनाओं को कालक्रम के अनुसार नहीं रखा गया है। इन रचनाओं को 'सरलता से कठिनता की ओर' के शैक्षणिक सूत्र को ध्यान में रखकर संकलित किया गया है।

गद्य विधाओं के चयन में यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक विधाओं और विविध गद्य शैलियों का आस्वादन कर सकें। कहानी, यात्रा-वृत्तांत, निबंध, डायरी, व्यंग्य, आत्मकथा आदि विधाओं की कुल आठ गद्य रचनाएँ पुस्तक में रखी गई हैं। किताब तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि रचनाएँ जीवन की बृहत्तर परिधि से जुड़ी हुई हों। वे एक ओर तो साहित्यिक विधाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हों तथा दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों का भी। इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि उन रचनाओं से बहुलतावादी और धर्म-निरपेक्ष समाज का रूप भी सामने आए। हम साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास कर सकें। भारतीय

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

समाज के बहुभाषिक परिवेश को भी ध्यान में रखा गया है। आशा है संकलित रचनाएँ विद्यार्थियों को रुचिकर लगेंगी और उन्हें अन्य रचनाएँ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है उसका नया प्रस्तुतीकरण। यह नया प्रस्तुतीकरण प्रश्न–अभ्यासों के माध्यम से किया गया है। पाठ्यपुस्तक में रचनाएँ एक वातावरण निर्मित करती हैं और प्रश्न–अभ्यास उन रचनाओं को परखने और पाठ से गहराई से जुड़ने का मौका देते हैं। वे विद्यार्थियों को स्वतंत्र और मौलिक रूप से सोचने की प्रेरणा भी देते हैं, इसलिए इस पुस्तक में संदर्भ को फैलाने वाले, कल्पना को विस्तार देने वाले और वैज्ञानिक तत्परता विकसित करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। बोध–प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीके से पूछने की परिपाटी को तोड़ने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न–अभ्यास इस ढंग से बनाए गए हैं कि वे विद्यार्थियों को अपनी मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें और उन्हें परिवेश और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएँ। प्रश्न–अभ्यासों की भाषा और व्यवहार की भाषा में तालमेल बैठाने की कोशिश भी की गई है। भाषा की बारीकियों को उभारने वाले प्रश्नों में मानक भाषा के साथ–साथ आँचलिक भाषा को भी महत्व दिया गया है। बहुभाषिक परिवेश को उभारने का प्रयास यहाँ भी देखा जा सकता हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रायः हर प्रश्न में विद्यार्थियों के लिए कोई न कोई मानसिक चुनौती है।

पुस्तक को रुचिकर और पठनीय बनाने में चित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखकों के परिचय के साथ उनके फोटो भी दिए गए हैं। हमें खेद है कि ललद्यद का चित्र और चपला देवी का कोई प्रामाणिक परिचय तथा चित्र उपलब्ध नहीं हो पाया इसलिए उसे नहीं दिया जा सका। रचनाओं से जुड़े कुछ चित्र भी पहली बार पुस्तक में शामिल किए गए हैं। यदि शिक्षकों और विद्यार्थियों को यह प्रयास पंसद आया तो भविष्य में इसे और भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

आशा है विद्यार्थी इस पुस्तक को बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ पढ़ेंगे और हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य के साथ–साथ व्यापक सामाजिक जीवन की चेतना प्राप्त करेंगे।

विषय-क्रम

आमुख			iv
यह पुस्तक			vii

गद्य-खंड

1.	प्रेमचंद	दो बैलों की कथा	3
2.	राहुल सांकृत्यायन	ल्हासा की ओर	23
3.	श्यामाचरण दुबे	उपभोक्तावाद की संस्कृति	34
4.	जाबिर हुसैन	साँवले सपनों की याद	42
5.	चपला देवी	नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया	50
6.	हरिशंकर परसाई	प्रेमचंद के फटे जूते	59
7.	महादेवी वर्मा	मेरे बचपन के दिन	67
8.	हजारीप्रसाद द्विवेदी	एक कुत्ता और एक मैना	77

काव्य-खंड

9.	कबीर	साखियाँ एवं सबद	89
10.	ललद्यद	वाख	95
11.	रसखान	सवैये	100
12.	माखनलाल चतुर्वेदी	कैदी और कोकिला	105
13.	सुमित्रानंदन पंत	ग्राम श्री	112
14.	केदारनाथ अग्रवाल	चंद्र गहना से लौटती बेर	117
15.	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना	मेघ आए	126
16.	चंद्रकांत देवताले	यमराज की दिशा	131
17.	राजेश जोशी	बच्चे काम पर जा रहे हैं	136

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।